न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 30/2020

पिन्टू साहू पुत्र किशनलाल साहू मेहन्दी बाग, तेलियों की गली टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 19—10—2020**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक जिला टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

तहसील कर्यालय परिसर के अन्दर व बाहर की तरफ लगाई गई सभी प्रकार की केबिनो को लगाने की अनुमति की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने उनके पत्र कमांक 4472/भू.अ. दिनाक 19—10—2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 4468 दिनांक 16—10—2020 एंव 4467/भू.अ. दिनांक 16—10—2020 से भिजवाई जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकंारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:02:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner